रजिस्ट्री सं० डी-222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 21, 1970 (कार्तिक 30, 1892)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 21, 1970 (KARTIKA 30, 1892)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY 2 DEC 1970 GOVERNMENT OF INDIA

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 22 जुलाई 1970 तक प्रकाशित किये गये हैं —

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to 22nd July 1970

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4

—शून्य—

—Nil—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

331GI/70

विषय-सूची (CONTENTS)

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	927
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1443
भाग I—खंड 3—रक्षा मन्त्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	117
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1421
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	4125
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	5103
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	671
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1315
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	445
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	169
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	1875
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	203
पूरक संख्या 47 —	
14 नवम्बर 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	1939
24 अक्तूबर 1970 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़े	1951

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	927
PART I—SECTION 2. Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1443
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	117
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1421
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	4125
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	5103
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	671
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1315
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	445
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	169
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1875
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	203
SUPPLEMENT No. 47	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 14th November 1970	1939
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 24th October, 1970	1951

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत् नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमंडल सचिवालय

(वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-1, दिनांक 28 अक्तूबर 1970

सं० 1(4)/68-सी० टी० ई०—शिक्षा एवं युवक सेवा मंत्रालय, भारत सरकार की राज-पत्र अधिसूचना (भारत के राज-पत्र भाग I, अनुभाग 1 में प्रकाशित) क्रमांक 1/4/68-सी० टी० ई० दिनांक 3 अप्रैल 1969/चैत्र 13, 1891 के क्रम में सर्व साधारण की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि डा० सी० वी० एस० रत्नम, प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संगठन, नई दिल्ली दिनांक 23 सितम्बर 1970 से अग्रिम आदेशों तक के लिये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड के सदस्य नामजद किये गये हैं।

सं० 1/4/68-सी० टी० ई०—शिक्षा एवं युवक सेवा मंत्रालय, भारत सरकार की राज-पत्र अधिसूचना (भारत के राज-पत्र भाग I, अनुभाग 1 में प्रकाशित) क्रमांक: 1/4/68-सी० टी० ई० दिनांक 6 फरवरी 1969/माघ 17, 1890 के क्रम में सर्व साधारण की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि श्री आर० व्यंकटारमण, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संगठन, नई दिल्ली 23 सितम्बर 1970 से 31 मार्च 1971 तक के लिये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की शासी-सभा के सदस्य नामजद किये गये हैं।

आत्मा राम, सचिव

(कार्मिक विभाग)

नियम

नई दिल्ली, दिनांक 21 नवम्बर 1970

सं० 8/68/70-सी० एस० (II)—मंत्रिमंडल सचिवालय में कार्मिक विभाग के सचिवालय प्रशिक्षण शाला द्वारा 1971 में निम्नलिखित सेवाओं/पदों में अस्थायी रिक्तियों में नियुक्ति के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सर्व सामान्य की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं :—

(1) भारतीय विदेश सेवा (ख)– ग्रेड VI;

(2) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा—ग्रेड II;

(3) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा—अवर श्रेणी ग्रेड;

(4) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा—और श्रेणी ग्रेड;

(5) संसदीय कार्य विभाग, नई दिल्ली में अवर श्रेणी लिपिक;

के पद ।

(6) विशेष महा निरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमापुलिस, दिल्ली के कार्यालय में अवर श्रेणी लिपिक के पद;

(7) महा निदेशालय, अनुसंधान नमूना और मानक संगठन;

(8) महा निदेशालय, अस्त्र-शस्त्र कारखाने, कलकत्ता में अवर श्रेणी लिपिक के पद; और

(9) भारत सरकार के अन्य विभागों तथा संबद्ध कार्यालयों के निम्न श्रेणी लिपिक के पद जो भारतीय विदेश सेवा (ख)/रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा/केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा में शामिल नहीं हैं।

कोई उम्मीदवार उपर्युक्त सेवाओं/पदों में से किसी भी एक या एक से अधिक सेवाओं/पदों के लिए आवेदन कर सकता है। यदि वह ऐसा चाहता है, तो उस पर केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा तथा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा (ग्रेड-II) के लिए आरक्षित सूची में शामिल करने के लिए भी विचार किया जा सकता है।

वह जितनी भी सेवाओं/पदों के लिए विचार करवाना चाहे उन सब का आवेदन में उल्लेख कर सकता है।

नोट :—उम्मीदवार को चाहिए कि वे जिन सेवाओं/पदों के लिए विचार करवाना चाहते हैं, उनका प्राथमिकता क्रम स्पष्टतः लिख दें। उम्मीदवार द्वारा प्रारंभ में अपने आवेदन पत्र में निर्दिष्ट सेवाओं/पदों के प्राथमिकता क्रम में अपने आवेदन पत्र में परिवर्तन करने की किसी भी ऐसी प्रार्थना पर, जो सचिवालय प्रशिक्षण शाला के निदेशक के कार्यालय में 31 जुलाई, 1970 को या उस से पहले न मिल जाए, विचार नहीं किया जायेगा।

2. परीक्षा के परिणामों पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या स्कूल द्वारा जारी की गई सूचना में निर्दिष्ट की जाएगी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षण किया जाएगा।

भूतपूर्व सैनिक का अर्थ उस व्यक्ति से है जो संघ की सशस्त्र सेना में किसी भी पद पर (चाहे लड़ाकू के रूप में रहा हो अथवा नहीं) निरन्तर छः मास की अवधि तक रहा हो और अवाचरण और अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवामुक्त किये जाने को छोड़कर अन्य कारणों से नौकरी से मुक्त कर दिया गया हो।

स्पष्टीकरण—इन नियमों के लिए "संघ की सशस्त्र सेना' में भूतपूर्व भारतीय रियासतों की सशस्त्र सेनाएं शामिल होंगी किन्तु निम्नलिखित सेनाओं के सदस्य शामिल नहीं हैं, अर्थात्:—

(क) आसाम राइफल्स;

(ख) लोक सहायक सेना; और

(ग) जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स ।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अर्थ उस किसी भी जाति आदिम जाति से है जिसका अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश संशोधित अधिनियम, 1956 के साथ पठित अनुसूचित जाति/आदिम जाति सूचियों (तरमीम) आदेश, 1956, संविधान (जम्मू व काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, संविधान (अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा तथा नगर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (पाण्डिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 और संविधान (गोवा, दमन व दीव) आदिम जाति आदेश, 1968 में उल्लेख है ।

3. सचिवालय प्रशिक्षण शाला द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट I में विहित विधि से किया जायेगा ।

परीक्षा की तारीखें और स्थान स्कूल द्वारा निर्धारित किये जायेंगे ।

4. (1) यह आवश्यक है कि उम्मीदवार या तो,

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आ गया हो, या

(च) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, लंका और कैन्या, उगाण्डा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका व जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजित हुआ हो ।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ), (ङ) और (च) श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा उनके नाम दिया गया पात्रता-प्रमाण-पत्र होना चाहिए । परन्तु निम्नलिखित में से किसी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के मामलों में पात्रता-प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा :—

(i) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजित हुए और तब से आमतौर पर भारत में ही रह रहे हैं ।

(ii) वे व्यक्ति, जो 19 जुलाई, 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजित हुए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 के अधीन अपने आप को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करा चुके हैं ।

(iii) ऊपर की (घ) श्रेणी के वे गैर-नागरिक, जो संविधान लागू होने की तारीख अर्थात् 26 जनवरी, 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में आए और तब से लगातार उस सेवा में काम कर रहे हैं, परन्तु किसी ऐसे जो सेवा भंग करके 26 जनवरी, 1950 के बाद उस उस सेवा में फिर आया हो या फिर आए, औरों की तरह पात्रता-प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक होगा ।

इसके अलावा एक शर्त यह भी है कि उपर्युक्त (ग)/(घ), और (ङ) श्रेणियों के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड-I में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे । किसी उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता-प्रमाण पत्र आवश्यक है, यदि सरकार आवश्यक प्रमाण पत्र दे दे तो, परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है और अन्तिम रूप में उसकी नियुक्ति भी की जा सकती है ।

5. जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का न हो, या संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी का निवासी न हो, या संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दीव का निवासी न हो, या केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य-तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन कर के न आया हो, वह प्रतियोगिता में दो से अधिक बार नहीं बैठ सकेगा, किन्तु यह प्रतिबंध सन् 1961 में हुई परीक्षा से लागू होगा ।

टिप्पणी-1—यदि परीक्षा के परिणामों के प्रकाशित होने कि पहले या बाद में किसी भी समय यह पाया गया कि उम्मीदवार परीक्षा में दो बार पहले ही बैठ चुका था और इस कारण परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं था, तो उसका परिणाम यथास्थिति रोक लिया जायेगा या रद्द कर दिया जायेगा, और नियम 15 के अनुसार आगे कार्यवाही की जाएगी ।

टिप्पणी-2.—यदि कोई उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता करे तो इस नियम के प्रयोजन के लिये उस उम्मीदवार को परीक्षा के अन्तर्गत आने वाली सभी सेवाओं/पदों के लिये एक बार प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा माना जायेगा ।

टिप्पणी-3.—किसी उम्मीदवार को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा हुआ तब माना जायेगा जब वह वास्तव में किसी एक या अधिक विषयों की परीक्षा में बैठा हो ।

6. (क) इस परीक्षा में बैठने के लिये यह जरूरी है कि उम्मीदवार की आयु पूरे 18 वर्ष की हो गई हो और 1 जनवरी, 1971 को पूरे 21 साल की न हुई हो, अर्थात् उस का जनम 2 जनवरी, 1950 से पहले और 1 जनवरी, 1953 के बाद न हुआ हो ।

(ख) उन भूतपूर्व सैनिकों के मामले में जिन्होंने संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम छः महीने की निरन्तर सेवा की है,

उनकी सशस्त्र सेना में कुल सेवा में तीन वर्ष की वृद्धि तक ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जायगी ।

परन्तु इस आयु छूट के अधीन परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित रिक्तियों के लिए ही प्रतियोगी होने के हकदार होंगे ।

नोट :—उपरोक्त नियम 5(ख) के प्रयोजन के लिए किसी भूतपूर्व कर्मचारी की सशस्त्र सेना में "आवान पर सेवा" की अवधि भी सशस्त्र सेना में की गई सेवा के रूप में समझी जायगी ।

(ग) उक्त ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित और अधिक छूट दी जायगी :—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक ;

(ii) यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद प्रव्रजन कर भारत आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक;

(iv) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पाण्डिचेरी का निवासी हो और किसी स्तर पर उसकी शिक्षा फ्रेंच भाषा के माध्यम से हुई हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक;

(v) यदि उम्मीदवार लंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 3 वर्ष तक;

(vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा लंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके पश्चात् लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक;

(vii) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र गोआ, दमन और दीव का निवासी हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(viii) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगांडा, और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजित हो तो अधिकतम 3 वर्ष तक;

(ix) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके पश्चात् भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक;

(x) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो, और पहली जून, 1963 को या उसके पश्चात् भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम 8 वर्ष तक;

(xi) किसी दूसरे देश से झगड़ों के दौरान अथवा उपद्रव-ग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा-सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक;

(xii) किसी दूसरे देश से झगड़ों के दौरान अथवा उपद्रव ग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उस के परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त ऐसे रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में जो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित हों, अधिकतम 8 वर्ष तक ।

(घ) उक्त ऊपरी आयु सीमा में उन व्यक्तियों के मामले में 35 वर्ष आयु तक की छूट दी जायगी जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों तथा निर्वाचन आयोग के कार्यालय में लिपिकों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हैं और 1 जनवरी, 1971 को जिन्होंने लिपिकों के रूप में कम से कम 3 वर्ष की निरन्तर सेवा की है और उसी रूप में कार्य करते जा रहे हैं;

परन्तु यह भी शर्त है कि उक्त आयु की छूट उन व्यक्तियों को नहीं दी जायगी जो मंत्रालयों/विभागों और सम्बद्ध कार्यालयों में (i) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, (ii) भारतीय विदेश सेवा, (ख), (iii) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा, और (iv) सशस्त्र सेवा मुख्यालय लिपिक सेवा में लिपिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा उन व्यक्तियों को जो भूतपूर्व सैनिक हैं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए परीक्षा में प्रतियोगिता कर रहे हैं ।

(ङ) उक्त ऊपरी आयु सीमा में उन व्यक्तियों के मामले में 35 वर्ष की आयु तक की छूट जायगी जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और सम्बद्ध कार्यालयों में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकक के पदों पर नियुक्त हैं और 1 जनवरी, 1971 को जिन्होंने हिन्दी लिपिकों/हिन्दी टंककों के रूप में कम से कम 3 वर्ष की निरन्तर सेवा की है । और उसी रूप में कार्य करते आ रहे हैं ।

परन्तु शर्त यह है कि उक्त आयु की छूट के अन्तर्गत परीक्षा में प्रविष्ट हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकक केवल केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता के पात्र होंगे ।

(च) ऊपरी आयु सीमा में उन सैनिकों लिपिकों के मामले में 45 वर्ष की आयु तक की छूट दी जायगी जिन्होंने गत वर्ष में सशस्त्र सेवन में अपनी हाजिर सेवा की है ।

परन्तु शर्त है कि उक्त आयु की छूट के अन्तर्गत परीक्षा में प्रविष्ट उम्मीदवार केवल सशस्त्र सेना मुख्यालयों तथा अन्तरसेवा संगठनों में रिक्त स्थानों के लिए ही, जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित नहीं हैं, प्रतियोगिता के पात्र होंगे ।

टिप्पणी (i) डाक व तार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त रेल-डाक छंटाईकारों की सेवा उपर्युक्त नियम 5(ग) के प्रयोजन के लिये लिपिक के ग्रेड में की गई सेवा मानी जायगी ।

टिप्पणी (ii) यदि किसी उम्मीदवार को उपर्युक्त नियम 6(घ) और नियम 6 (ङ) में उल्लिखित आयु सम्बन्धी रियायतों के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने दिया गया हो और यदि आवेदन पत्र देने के बाद परीक्षा में बैठने से पहले या बाद में, नौकरी से त्यागपत्र दे या उसके विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायें तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है लेकिन यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के बाद सेवा या पद से उसकी छंटनी हो जाय तो वह पात्र बना रहेगा ।

टिप्पणी (iii) किसी लिपिक को जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्ग पद (एक्स-केडर पोस्ट) पर प्रतिनियुक्ति हो, अन्य सब प्रकार से पात्र होने पर परीक्षा में बैठने दिया जायगा ।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अलावा ऊपर विहित आयु सीमाओं में किसी हालत में छूट नहीं दी जा सकेगी ।

7. यह आवश्यक है कि उम्मीदवारों ने नीचे लिखी परीक्षाओं में से कोई एक पास की हो या उनके पास निम्नलिखित में से एक प्रमाण पत्र हो :—

(i) भारत के केन्द्रीय अथवा राज्य विधान मण्डल के किसी अधिकतम द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा;

(ii) किसी राज्य के शिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक स्कूल कोर्स के अन्त में शालान्त (स्कूल लीविंग), माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल या ऐसे किसी और प्रमाण पत्र के दिये जाने के लिये जिसे वह राज्य सरकार नौकरी में प्रवेश के लिये मैट्रिक के प्रमाण पत्र के समकक्ष मानती हो, ली गई कोई परीक्षा;

(iii) कैम्ब्रिज स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा (सीनियर कैम्ब्रिज);

(iv) राज्य सरकारों द्वारा ली गई यूरोपीय हाई स्कूल परीक्षा,

(v) दिल्ली पालीटैक्नीक के तकनीकी हायर सैकेंडरी स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र,

(vi) भारत में किसी मान्यता प्राप्त हायर सैकेंडरी स्कूल/मल्टीपरपज स्कूल द्वारा हायर सैकण्डरी पाठ्यक्रम/मल्टीपरपज पाठ्यक्रम (जो किसी छात्र को डिग्री के कोर्स के लिए पात्र बनाता है) के उपान्तिम वर्ष में ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण,

(vii) किसी मान्यता प्राप्त हायर सेकेंडरी स्कूल या इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के लिये छात्रों को तैयार कराने वाली किसी मान्यता प्राप्त स्कूल की दसवी कक्षा का प्रमाणपत्र,

(viii) अरविंद अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी के उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम की दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र,

(ix) जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली की जूनियर परीक्षा केवल जामिया के वास्तविक आवासी छात्रों के लिये,

(x) बंगाल (साइंस) स्कूल सर्टिफिकेट,

(xi) नेशनल काउन्सिल आफ एजुकेशन (राष्ट्रीय शिक्षा परिषद) जादवपुर, पश्चिमी बंगाल की (शुरू से लेकर) फाइनल स्कूल स्टैन्डर्ड परीक्षा,

(xii) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद की विनित परीक्षा,

(xiii) पांडिचेरी की नीचे लिखी फ्रेंच परीक्षाएं :—

(i) ब्रीवे एलिमेन्टेएर, (ii) ब्रीवे द "सीमा" प्रीमियेर द लांग इंदियेन (iii) ब्रीवे दे एत्यूद टूयू प्रीमियेर सिकल (iv) ब्रीवे द एंसीमा प्रीमियेर सुपीरियेर दे लांग इंदियेन और (v) ब्रीवे दे लांग इंदियेन (वर्नाक्यूलर),

(xiv) गोआ, दमन और दीव की पुर्तगाली परीक्षा "लाइसियूम" के पांचवें वर्ग में पास;

(xv) इंडियन आर्मी स्पेशल सार्टिफिकेट आफ एजूकेशन,

(xvi) भारतीय नौसेना का हायर एजुकेशन टैस्ट,

(xvii) एडवांस क्लास (भारतीय नौसेना) परीक्षा,

(xviii) सीलोन सीनियर स्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा,

(xix) ईस्ट बंगाल सैकंडरी एजुकेशन बोर्ड, ढाका द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र,

(xx) पूर्वी पाकिस्तान स्थित कोनीला/राजाशाही/खुलना के बोर्ड आफ सैकेण्डरी एजुकेशन द्वारा दिए गए सैकेण्डरी स्कूल के प्रमाण पत्र,

(xxi) नेपाल सरकार की स्कूल लिविंग सार्टिफिकेट परीक्षा,

(xxii) एंग्लोवर्नाक्यूलर स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट (बर्मा),

(xxiii) बर्मा हाई स्कूल फाइनल एग्जामिनेशन सार्टिफिकेट,

(xxiv) बर्मा हाई स्कूल फाइनल एंग्लोवर्नाक्यूलर हाई स्कूल परीक्षा (युद्ध पूर्व),

(xxv) बर्मा का पोस्ट-वार स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट,

(xxvi) "सामान्य" स्तर पर लंका की सार्टिफिकेट आफ ऐजुकेशन नामक परीक्षा यदि वह अंग्रेजी तथा गणित और सिंहली या तमिल सहित छः विषयों में पास की गई हो,

(xxvii) "सामान्य" स्तर पर लंदन के ऐसोसिएटेड ऐग्जामिनेशम बोर्डस का जनरल सार्टिफिकेट आफ, ऐजुकेशन परीक्षा, यदि वह अंग्रेजी सहित पांच विषयों में पास की गई हों,

(xxviii) किसी राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई जूनियर/सैकेण्डरी तकनीकी स्कूल परीक्षा,

(xxix) वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की पूर्व मध्यमा (अंग्रेजी सहित) या पुरानी खंड मध्यमा (प्रथम दो वर्ष का पाठ्यक्रम) तथा उस विद्यालय के विषयों में से एक विषय अंग्रेजी सहित अतिरिक्त विषयों में विशिष्ट परीक्षा ।

टिप्पणी 1:— यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा, जिसमें उत्तीर्ण होने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है, दे चुका हो, लेकिन उसके परिणाम की सूचना उसे नहीं मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र भेज सकता है । जो उम्मीदवार उक्त किसी अर्हक (क्वालिफाइंग) परीक्षा में बैठना चाहते हों, वे भी आवेदन पत्र दे सकते हैं बशर्ते कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के शुरू होने से पहले समाप्त हो जाये । ऐसे उम्मीदवारों को यदि वे अन्य शर्तें पूरी करते हों, परीक्षा में बैठने दिया जायगा, किन्तु परीक्षा में बैठने की अनुमति अन्तिम होगी और यदि वे उक्त परीक्षा पास करने का प्रमाण जल्दी से जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा के शुरू होने की तारीख से अधिक से अधिक दो महीने के अन्दर-अन्दर प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द कर दी जा सकेगी ।

टिप्पणी 2:— कुछ विशिष्ट मामलों में, किसी ऐसे उम्मीदवार को, जिसके पास उक्त नियमों के अनुसार कोई उपाधि नहीं है, सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल अर्हता-प्राप्त उम्मीदवार मान सकता है, बशर्ते कि वह उस स्तर तक अर्हता प्राप्त है, जो सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल की राय में परीक्षा में प्रवेश करने के लिए यथोचित है ।

8 (1) जिस व्यक्ति ने

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह-अनुबंध किया है जिसका पति/पत्नि पहले से है,

या

(ख) जिसने, जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबंध किया है तो सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं माना जायगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार सन्तुष्ट न हो जाय कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह सम्बन्धी अन्य पक्ष के लिए पृथक् व्यक्तिक कानून के अनुसार ऐसा विवाह स्वीकृत है तथा ऐसा करने के अन्य कारण हैं और उसको इस नियम से छूट न दे दे ।

(ii) जिस व्यक्ति ने विदेशी राष्ट्रिक से विवाह किया है भारतीय विदेशी सेवा (ख)—ग्रेड VI की नियुक्ति लिए पात्र नहीं माना जायगा ।

(iii) जिस व्यक्ति के तीन से अधिक बच्चे हैं वह भारतीय विदेशी सेवा (ख)—ग्रेड VI की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जायेगा ।

9. जो उम्मीदवार स्थायी या अस्थायी हैसियत से पहले से ही सरकारी सेवा कर रहा हो, उसे इस परीक्षा में बैठने से पहले अपने विभाग अध्यक्ष की अनुमति अवश्य ले लेनी चाहिए ।

10. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो सम्बन्धित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जायेगी । केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जायेगी जिन पर नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार किये जाने की सम्भावना हो ।

टिप्पणी — अशक्त भूतपूर्व रक्षा सेवा-कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवा के सैन्य विघटन डाक्टरी बोर्ड (डीमोबीलाइजेशन मेडिकल बोर्ड) द्वारा किया गया स्वास्थ्य-प्रमाण पत्र नियुक्ति के प्रयोजन के लिये पर्याप्त समझा जायेगा ।

11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में सचिवालय प्रशिक्षण शाला का निर्णय अन्तिम होगा ।

12. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायेगा जब तक उसके पास सचिवालय प्रशिक्षण शाला का प्रवेश पत्र (सार्टिफिकेट ऑफ एडमिशन) न हो ।

13. उम्मीदवार को सचिवालय प्रशिक्षण शाला के नोटिस के अनुबंध-1 में विहित फीस देनी होगी ।

14. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो उससे वह परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है ।

15. यदि कोई उम्मीदवार सचिवालय प्रशिक्षण शाला द्वारा इस बात के लिए दोषी घोषित किया जाये या किया गया हो कि उसने दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रवेश अथवा ऐसे प्रवेश प्रस्तुत किये हैं जिनमें हेरा-फेरी की गई या गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं या कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई है या परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी और अनियमित या अनुपयुक्त तरीके से काम लिया है अथवा परीक्षा भवन में अनुचित तरीकों का प्रयोग किया है या प्रयोग करने की कोशिश की है या परीक्षा भवन में कोई दुर्व्यवहार किया है, तो आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोजीक्यूशन) चलाए जाने के अतिरिक्त उसे :

(क) स्थाई रूप से अथवा किसी निश्चित अवधि के लिए

(i) सचिवालय प्रशिक्षण शाला उम्मीदवारों से चुनाव के लिए अपने द्वारा ली जाने वाली

किसी भी परीक्षा या इन्टरव्यू में शामिल होने से रोक सकता है; और

(ii) केन्द्रीय सरकार, अपने अधीन नियुक्त किये जाने से वंचित कर सकती है;

(ख) यदि वह पहले से ही सरकारी सेवा में हुआ तो उसके खिलाफ उपयुक्त नियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

16. परीक्षा के पश्चात् अंतिम रूप से प्रत्येक उम्मीदवार को दिये गये कुल अंकों के आधार पर सचिवालय प्रशिक्षण शाला उम्मीदवारों की गुणानुक्रम में सूची बनायेगा, और उसी क्रम से परीक्षा परिणामों के आधार पर भरे जाने के लिये निश्चित अनारक्षित रिक्त स्थानों की संख्या के अनुसार जितने उम्मीदवारों की परीक्षा के द्वारा अर्हता-प्राप्त देखेगा, उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश करेगा।

लेकिन यह भी शर्त है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के किसी ऐसे उम्मीदवार को, जिसने किसी सेवा/पद के लिये सचिवालय प्रशिक्षण शाला द्वारा निर्धारित सामान्य मान के अनुसार अर्हता प्राप्त न की हो पर फिर भी प्रशासन को कुशलता बनाये रखने की बात पर उचित ध्यान देते हुए उसे उस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित कर दे उस सेवा/पद में यथास्थिति, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के लिये आरक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्ति की जाने के लिये उसकी सिफारिश कर दी जायेगी।

परन्तु यह भी शर्त है कि उन भूतपूर्व सैनिकों की जो सचिवालय प्रशिक्षण शाला द्वारा परीक्षा के आधार पर योग्य पाये जायेंगे और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के भूतपूर्व सैनिकों की जिन्हें सचिवालय प्रशिक्षण शाला द्वारा पहले परन्तुक की शर्तों के अनुसार नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो, परीक्षा में योग्यता-क्रम में उनके स्थान पर ध्यान दिये बिना भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए सिफारिश की जायेगी।

17. परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति के समय उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र भरते समय विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए बताई गई प्राथमिकताओं का (आवेदन पत्र के कालम 27 का) समुचित ध्यान रखा जाएगा।

18. हर एक उम्मीदवार को परीक्षा-फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय सचिवालय प्रशिक्षण शाला अपने विवेकानुसार करेगा और सचिवालय प्रशिक्षण शाला परिणामों के सम्बन्ध में उनसे कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

19. आवश्यक जांच के बाद जब तक सरकार संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है तब तक परीक्षा में पास हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता।

20. इस परिणाम के आधार पर की जाने वाली सभी नियुक्तियों के साथ एक शर्त यह होगी कि यदि उम्मीदवार ने सचिवालय प्रशिक्षण शाला द्वारा आयोजित अंग्रेजी या हिन्दी की आवधिक टंकण परीक्षाओं में से कोई पहले ही पास न की हुई हो तो वह नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के अन्दर सचिवालय प्रशिक्षण शाला द्वारा आयोजित ऐसी अंग्रेजी में 30 शब्द अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति पर परीक्षा पास करेगा, ऐसा न करने पर जब तक वह परीक्षा पास नहीं कर लेता तब तक उसे वार्षिक वेतन वृद्धि (वृद्धियां) नहीं दी जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि के अन्दर उक्त परीक्षा पास नहीं कर लेता तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

नोट:—परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्त उम्मीदवार को जिसने उपर्युक्त निर्धारित आधार पर टंकण परीक्षा पहले ही पास कर ली हो, अथवा इसे नियुक्ति की तारीख से 6 महीने के अन्दर पास कर लेता है तो उसे पहली वेतन वृद्धि एक वर्ष के बजाए छः महीने के पश्चात् दी जाएगी, परन्तु इसे बाद में नियमित वेतन-वृद्धियों में समाविष्ट कर लिया जाएगा।

टिप्पणी-2—टिप्पणी 1 में उल्लिखित नियमों के अतिरिक्त दो अग्रिम वेतन वृद्धियां ऐसे व्यक्तियों को दी जाएंगी (जो अग्रिम वेतन वृद्धियों में समायोजित कर दी जाएंगी) जो अपनी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के अन्दर अंग्रेजी में प्रति मिनट 40 शब्द और हिन्दी में प्रति मिनट 35 शब्द की गति से टंकण परीक्षा पास करेंगे।

21. उन सेवाओं/पदों से सम्बन्धित सेवा की शर्तें, जिनके लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है, संक्षेप में परिशिष्ट II में दी गई है।

एम० के० वासुदेवन, अवर सचिव

परिशिष्ट 1

1. परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिये दिया गया समय और प्रत्येक विषय का पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

विषय	पूर्णांक	दिया गया समय
(i) सामान्य अंग्रेजी तथा लघु निबंध		
(क) लघु निबंध .	100	300 3 घंटे
(ख) सामान्य अंग्रेजी .	200	
(ii) सामान्य ज्ञान (भारतीय भूगोल सहित)	100	2 घंटे

2. परीक्षा का पाठ्य-विवरण इस परिशिष्ट की अनुसूची में दिए अनुसार होगा।

3. उम्मीदवारों को छूट होगी कि वे प्रश्नपत्र (i) की मद (क) तथा प्रश्न पत्र (ii) के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी) किसी में करें।

प्रश्न पत्र (i) की मद (ख) के उत्तर अंग्रेजी में ही लिखे जाने चाहियें।

टिप्पणी—1. छूट पूरे प्रश्नपत्र के लिये होगी, एक ही प्रश्नपत्र में अलग-अलग प्रश्नों के लिये अलग-अलग नहीं।

टिप्पणी—2. पूर्वोक्त प्रश्नपत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी) में देने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपना इरादा आवेदन पत्र के कालम 8 में स्पष्टतः लिख देना चाहिये अन्यथा यह समझा जायगा, कि वे प्रश्न-पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में देंगे।

4. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. सचिवालय प्रशिक्षण शाला अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों में अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है।

6. केवल सतही ज्ञान के लिये कोई अंक नहीं दिए जायेंगे।

7. अस्पष्ट लिखावट के कारण, लिखित विषयों के पूर्णांकों के 5 प्रतिशत तक काट लिए जाएंगे।

8. परीक्षा के सभी विषयों में आवश्यकतानुसार कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई अभिव्यक्ति को श्रेय दिया जाएगा।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्यक्रम विवरण

सामान्य अंग्रेजी तथा लघु निबंध

(क) लघु निबंध—उल्लिखित कई विषयों में से किसी एक पर एक निबंध लिखना होगा।

(ख) सामान्य अंग्रेजी—निम्नलिखित में उम्मीदवारों की परीक्षा ली जायगी।

(1) मसौदा लेखन

(2) सार लेखन

(3) अनुप्रयुक्त व्याकरण तथा

(4) प्रारम्भिक सारणीकरण (आंकड़ों को संकलित करने तथा सारणी-रूप में उन्हें व्यवस्थित और प्रस्तुत करने की कला में उम्मीदवारों की सामर्थ्य जांचने के लिये।

भारतीय भूगोल समेत सामान्य ज्ञान

सामयिक घटनाओं और प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले ऐसे विषयों की जानकारी तथा उनके वैज्ञानिक पक्षों का अनुभव जिनकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से जिसने कि किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो आशा की जा सकती है। इस पत्र में भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे।

परिशिष्ट-II

उन सेवाओं/पदों से संबंधित संक्षिप्त विवरण जिनके लिये इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही हैं।

क—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के निम्नलिखित दो ग्रेड हैं :—

(i) उच्च श्रेणी ग्रेड : 130-5-160-8-200-द० रो०-8-256०-. रो०-8-280।

(ii) निम्न श्रेणी ग्रेड : 110-3-131-4-155-द० रो०-4-175-5-180।

2. निम्न श्रेणी ग्रेड में नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि के दौरान वे सरकार द्वारा यथा-निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और विभागीय परीक्षाएं देंगे। प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखाने पर या परीक्षा पास न कर सकने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति नौकरी से हटाया जा सकता है।

3. परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार परिवीक्षाधीन लिपिक की पुष्टि कर सकती है या यदि उसका कार्य या आचरण सरकार की राय में असन्तोषजनक रहा हो, तो उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा की अवधि, जितनी बढ़ाना उचित समझे बढ़ा सकती है।

4. निम्न श्रेणी ग्रेड में भर्ती किये गये व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों या कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जायेगा। उनकी किसी भी समय किसी भी ऐसे अन्य मंत्रालय या कार्यालय में बदली हो सकती है जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना में भाग ले रहे हों।

5. निम्न श्रेणी ग्रेड में भर्ती किये गये व्यक्ति इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार उच्च श्रेणी ग्रेड में पदोन्नत किये जाने के पात्र होंगे। स्थायी या नियमित रूप से नियुक्त किये गये अस्थायी निम्न श्रेणी लिपिक, जो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध यथा निर्दिष्ट निर्णायक तारीख को 5 वर्ष की अनुमोदित तथा निरंतर सेवावधि पूरी कर चुकेंगे, वे उच्च श्रेणी की समिति विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

6. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित निर्णायक तारीख को कम से कम तीन वर्ष अनुमोदित तथा निरन्तर सेवा करने के बाद ग्रेड 3 के आशुलिपिकों की परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्णायक तारीख को 5 वर्ष होनी चाहिए।

7. जिन लोगों की नियुक्ति केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के निम्न श्रेणी ग्रेड में उनकी अपनी इच्छा के अनुसार की जाएगी, वे उस नियुक्ति के पश्चात् भारतीय विदेश सेवा (ख) के काडर में अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा योजना में शामिल किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे।

ख—रलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा

(क) जहां तक भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि का संबंध है रेलवे मंत्रालय में नियुक्ति निम्न श्रेणी लिपिकों की सेवा की शर्तें रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा पुनर्गठन और संकलन योजना

के द्वारा विनियमित होती हैं जो कि केन्द्रीय सचिवालय लिपिक से या योजनों के अनुरूप हैं ।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा योजना के निम्न ग्रेड हैं :-

(i) ग्रेड-I (उच्च श्रेणी) —130-5-160-8-200-द० रो०-8-256-द० रो०-8-280

(ii) ग्रेड II (निम्न श्रेणी) —110-3-131-4-155-द० रो०-4-175-5-180 ।

सीधी भर्ती केवल ग्रेड II में ही की जाती है । ग्रेड I के पद ग्रेड II के लिपिकों में से पदोन्नति करके 80-प्रतिशत तो वरिष्ठता के आधार पर (इस शर्त के साथ कि अयोग्य को अस्वीकृत किया जा सकता है) तथा 20 प्रतिशत सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर पदोन्नति करके भरे जाते है। परन्तु जब तक रेलवे बोर्ड के कार्यालय में पहली सीमित प्रतियोगिता परीक्षा नहीं होती तब तक अस्थायी तौर पर 20 प्रतिशत रिक्त स्थान भी (इस शर्त के साथ कि अयोग्य को अस्वीकृत किया जा सकता है) वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति करके भरे जायेंगे ।

(ग) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा रेलवे मंत्रालय तक सीमित है और उनके कर्मचारियों की केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की तरह अन्य मंत्रालयों में बदली नहीं हो सकती ।

(घ) इन नियमों के अधीन रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा में भर्ती हुए अधिकारी—

(i) पेंशन संबंधी लाभों के पात्र होंगे और

(ii) उनकी नियुक्ति की तारीख को नियुक्त रेलवे कर्मचारियों पर लागू होने वाले उस निधि के नियमों के अनुसार अन-अंशदायी राज्य रेलवे भविष्य निधि के अभिदाता होंगे।

(ङ) रेलवे मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारी अन्य रेलवे कर्मचारियों के लिये स्वीकार्य मानों के अनुसार ही पासों और सुविधा टिकट आदेशों के हकदार होंगे।

(च) जहां तक छुट्टी तथा सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा में शामिल कर्मचारियों के साथ रेलवे के अन्य कर्मचारियों के समान ही व्यवहार किया जाता है किन्तु चिकित्सा सुविधाओं के बारे में उन पर नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में नियुक्त केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियम ही लागू होंगे।

ग—भारतीय विदेश सेवा (ख)—ग्रेड

वेतन मान—110-3-131-4-155-द० रो०-4-175-5-180

2. भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड VI में नियुक्त अधिकारी, विदेशों में नियुक्त किये जाने पर, उन भत्तों और मुफ्त रिहायश के पात्र होंगे जो समय-समय पर भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों के लिये स्वीकार्य होते हैं।

3. इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त उम्मीदवारों को, मुख्यालय में अथवा भारत या विदेश में कहीं भी जहां वे नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किये जाएं, सेवा करनी होगी।

4. इस सेवा में नियुक्ति, पुष्टिकरण तथा वरिष्ठता की शर्तें भारतीय विदेश सेवा (ख) (भर्ती, संवर्ग वरिष्ठता तथा पदोन्नति) नियम 1964 तथा बाद में सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं अन्य नियमों के संगत उपबंधों या जरूरी किए आदेशों द्वारा शासित होंगे।

घ—सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा

सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा में निम्नलिखित दो ग्रेड हैं:—

उच्च श्रेणी ग्रेड —130-5-160-8-200-द० रो०-8-256-द० रो०-8-280

निम्न श्रेणी ग्रेड—110-3-131-4-155-द० रो०-4-175-5-180 रुपये।

उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में पद निम्न श्रेणी लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। सीधी भर्ती केवल निम्न श्रेणी ग्रेड में ही की जाती है।

2. निम्न श्रेणी ग्रेड में भर्ती किये गये व्यक्ति दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे । यह अवधि सक्षम अधिकारी के विवेक पर बढ़ाई या घटाई जा सकती है। इस अवधि में असंतोषजनक सेवा-रिकार्ड का परिणाम परिवीक्षाधीन की सेवा से मुक्त हो सकता है। परिवीक्षाधीन की अवधि में उन्हें समय-समय पर यथा विहित प्रशिक्षण लेना पड़ सकता है तथा परीक्षा भी पास करनी पड़ सकती है।

3. निम्न श्रेणी लिपिक समय समय पर लागू नियमों के अनुसार पुष्टीकरण तथा पदोन्नति के पात्र होंगे।

4. सशस्त्र सेना मुख्यालय में भर्ती किये गये निम्न श्रेणी लिपिक आमतौर पर दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर्सेवा संगठनों के किसी कार्यालय में नियुक्त किये जायेंगे। किन्तु लोक हित में भारत से कहीं भी उनकी बदली की जा सकती है।

5. छुट्टी, चिकित्सा सहायता तथा सेवा की अन्य शर्तें वही हैं जो सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर्सेवा संगठनों में नियुक्त अन्य लिपिक वर्गीय कर्मचारियों पर लागू होती है।

ङ—संसदीय मामलों का विभाग

इस विभाग में निम्न श्रेणी लिपिकों के पदों का वेतन मान 110-3-131-4-155 द० रो०-4-175-5-180 रुपये है।

प्रतियोगिता परीक्षा के जरिये चुनाव करके सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रखा जायगा।

योजना आयोग

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 28 अक्तूबर 1970

सीमा सड़क समिति (बोर्डर रोड्स कमेटी) जो योजना आयोग के संकल्प सं० -टी० एण्ड सी० /11/6/70 दिनांक 6 जुलाई, 1970 के अन्तर्गत स्थापित की गई थी, उसमें मणिपुर सरकार का एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रतिलिपि समस्त सम्बद्धों को भेज दी जाये और सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दी जाये ।

देवव्रत दास, अवर सचिव

विदेशी व्यापार मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 1970

सं० 4/27/69- टैक्स (सी०) /646 :—भारत सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का पुनर्गठन करने वाले उनके संकल्प सं० 4(27)- टैक्स (सी०)/ 69 दिनांक 17 मई, 1969 में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे :—

क्रम सं० 31 के सामने,

"संयुक्त सचिव, योजना आयोग, "नई दिल्ली" **के स्थान पर** "श्री जियाउर रहमान, अंसारी, एडवोकेट, 49, शेखवाड़ा, उन्नाव, उ० प्र०" **रखा जाये** ।

एच० के० बंसल, उप-सचिव,

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली-1, दिनांक 31 अक्तूबर 1970

सं० 25-3/69-एल० डी०-1—खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मन्त्रालय (कृषि विभाग) के संकल्प संख्या 25-5/67-एल० डी० -1(i) दिनांक 20-12-1967, संकल्प संख्या 25-5/67-एल० डी०-1(i) दिनांक 20-3-68, संकल्प संख्या 25-5-/67-एल० डी०-1 दिनांक 14-6-68, संकल्प संख्या 25-8/68-एल० डी०-1 दिनांक 20-1-1969, संकल्प संख्या 25-3/69-एल० डी०-1 दिनांक 23 जुलाई, 1969 तथा संकल्प संख्या 25-3/69-एल० डी०-1 दिनांक 24 अप्रैल, 1970 के साथ पठित संकल्प संख्या 25-5/66-एल० डी०-1 दिनांक 29 जून, 1967 में आंशिक संशोधन करते हुए सरकार ने निर्णय किया है कि गोरक्षा समिति द्वारा सरकार की रिपोर्ट देने की समय-सीमा 31 मार्च, 1971 तक के लिये **बढ़ा दी जाये** ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव की एक प्रति निम्न को भेजी जाये :—

(1) समस्त राज्य सरकारों /संघ शासित क्षेत्र
(2) लोक सभा सचिवालय
(3) राज्य सभा सचिवालय
(4) प्रधान मंत्री सचिवालय
(5) मन्त्रिमण्डल सचिवालय
(6) अध्यक्ष, गोरक्षा समिति, नई दिल्ली
(7) गोरक्षा समिति के समस्त सदस्य
(8) सचिव, गोरक्षा समिति
(9) सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति
(10) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ।
(11) स्थापना 2/3/4/5, रोकड़ 1 तथा 2, बजट अनुभाग ।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाये ।

वी० पी० गुलाटी, उप-सचिव

नई दिल्ली -1, दिनांक 7 नवम्बर 1970

सं० 6–30/70 -सामान्य समन्वय :—राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना के विषय में भारत सरकार, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास, और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) के संकल्प संख्या 25–13/68-सामान्य समन्वय, दिनांक 29 अगस्त, 1970 के अनुसरण में, और तीन पूर्ण-कालिक सदस्यों और ग्यारह अंश-कालिक सदस्यों के नामों की घोषणा करते हुए भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 6–30/70-सामान्य समन्वय, दिनांक 26 सितम्बर, 1970 के सिलसिले में, यह निर्णय किया गया है कि कैप्टन रतन सिंह, सदस्य, विधान सभा, पंजाब, भी राष्ट्रीय कृषि आयोग के बारहवें अंशकालिक सदस्य होंगे, ये पहले नामजद व्यक्तियों के अतिरिक्त हैं ।

त्रिभुवन प्रसाद, सिंह सचिव

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्तूबर 1970

सं० एफ० 22-1/69. सी० ए० 1(2) :—शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 14/3/65. सी० दिनांक 11 अप्रैल, 1966 का आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के साधारण सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है :

1. जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर	डा० बैजनाथ शर्मा, उपाचार्य तथा प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति और पुरातत्व के विभागाध्यक्ष को डा० आर० एम० सिन्हा, एम० ए०, पी० एच० डी० के स्थान पर ।
2. जादवपुर विश्वविद्यालय, जादवपुर	डा० जे० ऐम० सरकार, इतिहास विभाग, जादवपुर विश्वविद्यालय को डा० पी० सी० गुप्ता के स्थान पर ।
3. गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	प्रो० आर० के० धारिया, इतिहास के आचार्य को डा० एच० जी० शास्त्री के स्थान पर ।

फिलहाल उनकी नियुक्ति 3 अप्रैल, 1971 तक होगी ।

सरन सिंह , अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 अक्तूबर, 1970

सं० एफ० 1–25/70 स्कूल 4 :—राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के संघ के ज्ञापन की धारा 6 में प्रदत्त

अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के भर्ती नीतियों तथा कार्यविधियों का पुनरीक्षण करने के लिये भारत सरकार एतद् द्वारा रक्षा लेखा के महानियंत्रक (सेवा निवृत) तथा संघ लोकसेवा आयोग के भूतपूर्व सदस्य श्री बटुक सिंह को नियुक्त करती है ।

2. पुनरीक्षण के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

1. राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा स्थापना से लेकर अपनाई गई भर्ती नीतियां तथा कार्यविधियों का पुनरीक्षण करना और इसकी वर्तमान भूमिका से संबंधित राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के लिये उचित नीतियों तथा कार्यविधियों का सिफारिश करना ।

2. कुछ संसद सदस्यों द्वारा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री को भेजे गये अभ्यावेदनों में लिखित भर्ती में की गई अनियमितताओं के आरोपों की जांच करना तथा उन पर अपनी रिपोर्ट देना ।

एल० एस० चन्द्राकान्त, संयुक्त शिक्षा सलाहकार

CABINET SECRETARIAT

Department of Scientific and Industrial Research

New Delhi-1, the 28th October 1970

No. 1/4/68-*CTE.*—In continuation of the Ministry of Education & Youth Services, Government of India Gazette Notification (Published in Part I, Section 1 of the Gazette of India) No. 1/4/68-CTE, dated 3rd April, 1969/Chaitra 13, 1891, it is notified for general information that Dr. C. V. S. Ratnam, Managing Director, National Research Development Corporation, New Delhi has been nominated as Member of the Board of Scientific & Industrial Research with effect from 23rd September 1970 till further orders.

No. 1/4/68-*CTE.*—In continuation of the Ministry of Education, Government of India Gazette Notification (Published in Part I, Section 1 of the Gazette of India) No. 1/4/68-CTE, dated 6th February, 1969/Magha 17, 1890, it is notified for general information that Shri R. Venkataraman, Chairman, National Research Development Corporation of India, New Delhi has been nominated as Member of the Governing Body of the Council of Scientific & Industrial Research with effect from 23rd September 1970 upto the 31st March 1971.

ATMA RAM, Secy.
Department of Scientific and Industrial Research, Cabinet Secretariat, New Delhi

---

(Department of Personnel)

RULES

New Delhi, the 21st November 1970

No. 8/68/70-*CS-II.*—The rules for a competitive examination to be held by the Secretariat Training School Department of Personnel in the Cabinet Sectt. in 1971 for the purpose of filling temporary vacancies in the following Services/posts are published for general information :—

(i) Indian Foreign Service (B)—Grade VI;

(ii) Railway Board Secretariat Clerical Service—Grade II;

(iii) Central Secretariat Clerical Service—Lower Division Grade;

(iv) Armed Forces Headquarters Clerical Service—Lower Division Grade;

(v) Posts of Lower Division Clerk in the Department of Parliamentary Affairs, New Delhi;

(vi) Posts of Lower Division Clerk in the office of the Special Inspector General, Indo-Tibetan Border Police, Delhi;

(vii) Posts of Lower Division Clerk in the Directorate General, Research Designs and Standards Organisation, Lucknow;

(viii) Posts of Lower Division Clerk in the Directorate General, Ordnance Factories, Calcutta; and

(ix) Posts of Lower Division Clerk in other Departments and Attached Offices of the Government of India not participating in the I.F.S. (B)/Railway Board Secretariat Clerical Service/Central Secretariat Clerical Service/Armed Forces Headquarters Clerical Service.

A candidate may apply for admission to the Examination in respect of any one or more of the Services/posts mentioned above. He may, if he so desires, also be considered for inclusion in the Reserve List for the Central Secretariat Clerical Service and Railway Board Secretariat Clerical Service (Grade II). He may specify in his application as many of these Services/posts as he may wish to be considered for.

N.B.—Candidates are required to specify clearly the order of preferences for the Services/posts for which they wish to be considered. No request for alteration in the order of preferences for the Services/posts originally indicated by a candidate in his application, would be considered unless such a request is received in the office of the Director, Secretariat Training School on or before 31st July, 1971.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the School. Reservation will be made for candidates who are ex-servicemen and for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

Ex-serviceman means a person who, has served in any rank (whether as a combatant or not) in the Armed Forces of the Union for a continuous period of six months and who has been released otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.

Explanation.—For the purposes of these Rules, "Armed Forces of the Union" shall include the Armed Forces of the former Indian States but does not include members of the following Forces, namely :—

(a) Assam Rifles;

(b) Lok Sahayak Sena; and

(c) General Reserve Engineer Force.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956, read with the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1956, the constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968 and the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.

3. The examination will be conducted by the Secretariat Training School in the manner prescribed in Appendix I to the Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the School.

4. A candidate must be either—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates belonging to any one of the following categories :—

(i) Persons who migrated to India from Pakistan before the nineteenth day of July, 1948 and have ordinarily been residing in India since then.

(ii) Persons who migrated to India from Pakistan on or after the nineteenth day of July, 1948, and have got themselves registered as citizens of India under Article 6 of the Constitution of India.

(iii) Non-citizens in category (f) above who entered service under the Government of India before the commencement of the Constitution *viz.*, 26th January, 1950, and who have continued in such service since then. Any such person who re-entered or may re-enter such service with break after the 26th January, 1950, will however, require certificate of eligibility in the usual way.

Provided further that candidates belonging to categories (c), (d) and (e) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)—Grade VI.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

5. No candidate who does not belong to a Schedule Caste or a Scheduled Tribe or is not a resident of the Union Territory of Pondicherry or is not a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu, or is not a migrant from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) shall be permitted to compete more than two times at the examination but this restriction is effective from the examination held in 1961.

NOTE 1—If it is found at any time before or after the publication of the results of the examination that the candidate had already appeared in the examination twice and was thus ineligible to sit in the examination, his result will be withheld or cancelled, as the case may be, and further action taken as per rule 15.

NOTE 2—For the purpose of this rule, a candidate shall be deemed to have competed at the examination once, for all the Services/posts covered by the examination, if he competes for any one or more of Services/posts.

NOTE 3—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

6. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 21 years on 1st January, 1971, *i.e.*, he must have been born not earlier than 2nd January 1950 and not later than 1st January, 1953.

(b) The upper age limit will be relaxable in the case of ex-Servicemen, who have put in not less than six months continuous service in the Armed Forces of the Union, to the extent of their total service in the Armed Forces increased by three years.

Provided that candidates admitted to the examination under this age concession will be eligible to compete for the vacancies reserved for ex-Servicemen only.

NOTE.—The period of "call up service" of an Ex-Serviceman in the Armed Forces shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purpose of rule 6(b) above.

(c) The upper age limit prescribed above will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January 1964;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iv) up to a maximum of five years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar).

(ix) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(xi) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof; and

(xii) up to maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(d) The upper age limit will be relaxable up to the age of 35 years in respect of persons who have been regularly appointed as Clerks in the various Departments/ Offices of the Government of India and in the Office of the Election Commission, and have rendered not less than 3 years' continuous service as Clerks on 1-1-1971, and who continue to be so employed.

Provided that the above age relaxation will not be admissible to persons appointed as Clerks in the Ministries/Departments and Attached Offices participating in (i) Central Secretariat Clerical Service, (ii) Indian Foreign Service (B), (iii) Railway Board Secretariat Clerical Service, and (iv) Armed Forces Headquarters Clerical Service, and to persons who are ex-Servicemen competing at the examination for vacancies reserved for ex-Servicemen.

(e) The upper age limit will be relaxable up to the age of 35 years in respect of persons who have been employed as Hindi Clerks/Hindi Typists in the various Ministries/Departments and Attached Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service, and have rendered not less than 3 years' continuous service as Hindi Clerks/Hindi Typists on 1-1-1971, and who continue to be so employed.

Provided that Hindi Clerk/Hindi Typist admitted to the examination under this age concession shall be eligible to compete for vacancies in the Central Secretariat Clerical Service only.

(f) The upper age limit will be relaxable upto 45 years in respect of Service Clerks in the last year of their colour service in the Armed Forces.

Provided that candidates admitted to the examination under this age concession will be eligible to compete only for vacancies in Armed Forces Headquarters and Inter-Services Organisations, which are not reserved for ex-Servicemen.

NOTE 1.—Service rendered by R.M.S. Sorters employed in subordinate offices of P & T, Department shall be treated as service rendered in the grade of Clerk for purpose of Rule 6(d) above.

NOTE 2.—The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 6(d) and Rule 6(e), above is liable to be cancelled, if, after submitting his application, he resigns from Service or his services are terminated by his Department, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the Service or post after submitting his application.

NOTE 3.—A clerk who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

SAVE AS PROVIDED ABOVE, THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

7. Candidates must have passed one of the following examinations or process one of the following certificates :—

(i) Matriculation Examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India;

(ii) An examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School Course for the award of a School Leaving, Secondary School, High School or any other Certificate which is accepted by the Government of that State as equivalent to Matriculation Certificate for entry into services;

(iii) Cambridge School Certificate Examination (Senior Cambridge).

(iv) European High School Examination held by the State Governments;

(v) Tenth Class Certificate from the Technical Higher Secondary School of the Delhi Polytechnic;

(vi) Pass in the Examination held by a recognised Higher Secondary School/Multipurpose School in India, at the end of the *penultimate* year of a Higher Secondary Course/Multipurpose Course (which enables a candidate to get admission to the 3 year degree course);

(vii) Tenth Class Certificate from a recognised School preparing students for the Indian School Certificate Examination;

(viii) Tenth Class Certificate of the Higher Secondary Course of Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry.

(ix) Junior examination of the Jamia Millia Islamia, Delhi in the case of *bona fide* resident students of the Jamia only;

(x) Bengal (Science) School Certificate;

(xi) Final School Standard Examination of the National Council of Education, Jadavpur, West Bengal (Since inception);

(xii) 'Vinit' examination of the Gujarat Vidyapith, Ahmedabad;

(xiii) The following French Examinations of Pondicherry; (i) 'Brevet Elementaire', (ii) 'Brevet d' Enseignment Primaire de Langue Indienne', (iii) 'Brevet D' etudesa du Premier Cycle', (iv) 'Brevet D' Enseignement Primaire Superieur de Langue Indienne' and (v) 'Brevet' de Langue Indienne (Vernacular);

(xiv) Pass in the 5th year of 'Lyceum', a Portuguese qualification in Goa, Daman and Diu;

(xv) Indian Army Special Certificate of Education;

(xvi) Higher Educational Test of the Indian Navy;

(xvii) Advanced Class (Indian Navy) Examination;

(xviii) Ceylon Senior School Certificate Examination;

(xix) Certificate granted by the East Bengal Secondary Education Board, Dacca;

(xx) Secondary School Certificates granted by the Board of Secondary Education at Comilla/Rajshahi/Khulna in East Pakistan;

(xxi) School Leaving Certificate Examination of the Government of Nepal;

(xxii) Anglo-Vernacular School Leaving Certificate (Burma);

(xxiii) Burma High School Final Examination Certificate;

(xxiv) Anglo-Vernacular High School Examination of the Education Department, Burma (Pre-War);

(xxv) Post-War School Leaving Certificate of Burma;

(xxvi) General Certificate of Education Examination of Ceylon at 'Ordinary' level provided it is passed in six subjects including English and Mathematics and either Sinhalese or Tamil;

(xxvii) General Certificate of Education Examination of the Associated Examination Boards, London at 'Ordinary' Level provided it is passed in five subjects including English;

(xxviii) Junior/Secondary Technical School examination conducted by any of the State Boards of Technical Education; and

(xxix) Purva Madhyama (with English) *or* old Khand Madhyama (first two years course) and special examination in additional subjects with English as one of the subjects of the Varanaseya Sanskrit Vishwa Vidyalaya, Varanasi.

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to this examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply, provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE II.—In exceptional cases, the School may treat a candidate, who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of qualified which in the opinion of the School justified his admission to the examination.

8. (i) No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

(ii) a person married to a foreign national shall not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)—Grade VI.

(iii) a person with more than three children will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)—Grade VI.

9. A candidate already in Government Service, whether in a permanent or temporary capacity, must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the Examination.

10. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination as may be prescribed by the competent authority is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE.—In the case of the disabled ex-Defence Services personnel, a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

11. The decision of the School as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

12. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the School.

13. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the School's Notice.

14. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

15. A candidate who is or has been declared by the School guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,

(a) be debarred permanently or for a specified period :—

(i) by the School from admission to any examination or appearance at any interview held by the School for selection of candidate, and

(ii) by the Central Government from employment under them;

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

16. After the examination, the candidates will be arranged by the school in the order of merit as disclosed by the *aggregate* marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the School to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the xamination.

Provided that any candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes who, though not qualified by the general standard prescribed by the School for any Service/post may also be recommended if he is not found unfit for appointment to vacancies reserved for members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes as the case may be in that Service/post.

Provided further that ex-Servicemen who are found by the School to be qualified by the examination, and ex-Servicemen belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes who are declared by the School to be suitable for appointment in terms of the first proviso, shall be recommended for appointment to the vacancies reserved for ex-Servicemen irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

17. Due consideration will be given, at the time of making appointments on the results of the examination, to the preferences expressed by a candidate for various Services/posts, at the time of his application (*cf.* Col. 27 of the application form).

18. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the School in their discretion, and the School will not enter into correspondence with them regarding the result.

19. Sucess in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service/post.

20. All appointments on the results of this examination shall be subject to the condition that unless a candidate has already passed one of the periodical typewritting tests in English or Hindi held by the Secretariat Training School, he shall pass such a test at a minimum speed of 30 words in English or 25 words in Hindi per minute, to be held by the Secretariat Training School within a period of one year from the date of appointment, failing which no annual increment(s) shall be allowed to him until he has passed the said test.

If any candidate does not pass the said typewriting test within the period of probation, his services shall be liable to be terminated.

Note 1.—A candidate appointed on the results of the examination, who has already passed the typewriting test as prescribed above, or who passes it within a period of six months from the date of his appointment, will be granted, the first increment after six months instead of after one year's service. This will, however, be absorbed in the subsequent regular increments.

Note 2.—In addition to the concession referred to in Note 1, two advance increments absorbable in future increases will be granted to those who pass the typewriting test at 40 w.p.m. in English or 35 words p.m. in Hindi within a period of one year from the date of their appointment.

21. Conditions of service relating to the Services/posts to which recruitment is being made through the examination are briefly stated in Appendix II.

M. K. VASUDEVAN, Under Secy.

APPENDIX I

1. The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

Subject	*Maximum marks*		*Time allowed*
(i) *General English & Short Essay*			
(a) Short Essay	100	300	3 hours
(b) General English	200		
(ii) *General Knowledge including Geography of India*		100	2 hours

2. The syllabus for the examination will be as shown in the Schedule to this Appendix.

3. Candidates are allowed the option to answer item (a) of paper (i), or paper (ii) or both either in Hindi (Devanagri) or in English. Item (b) of paper (i) must be answered in English by all candidates.

NOTE 1.—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi (Devanagri) should indicate their intention to do so clearly in Column 8 of the application form. Otherwise it would be presumed that they would answer the papers in English.

4. Candidates must write; the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write down answers for them.

5. The School have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

General English and Short Essay

(a) Short Essay.—An essay to be written on one of the several specified subjects.

(b) *General English.*—Candidates will be tested in the following :—

(1) Drafting;

(2) Precis writing;

(3) Applied Grammar; and

(4) Elementary tabulation (To test candidates' ability in the art of compiling, arranging and presenting data in a tabular form).

General Knowledge including Geography of India

Knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will include questions on Geography of India.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this Examination.

A. *Central Secretariat Clerical Service*

The Central Secretariat Clerical Service has two grades as follows :—

(i) Upper Division Grade :—Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280.

(ii) Lower Division Grade :—Rs. 110—3—131—4—155—EB—4—175—5—180.

2. Persons recruited to the Lower Division Grade will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

3. On the conclusion of the period of probation Government may confirm the clerk on probation or, if his work or conduct has, in the opinion of Government been unsatisfactory, he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Persons recruited to the Lower Division Grade will be posted to one of the Ministries/Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service Scheme. They may however, at any time be transferred to any other Ministry or Office, participating in the Central Secretariat Clerical Service.

5. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible for promotion to the Upper Division Grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf. Permanent or regularly appointed temporary lower division clerks who have completed 5 years of approved and continuous service in the Lower Division Grade on the crucial date as specified by the Government in this behalf will be eligible to appear in the Upper Division Grade Limited Departmental Competitive Examination.

6. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible to take the Grade III Stenographers' Examination after rendering not less than three years' approved and continuous service on the crucial date as specified by the Govt. in this behalf. The upper age limit for this examination is 35 years on the crucial date.

7. Persons recruited to the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service in pursuance of their option for that Service will not after such appointment, have any claim for transfer or appointment to the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Clerical Service.

B. *Railway Board Secretariat Clerical Service*

(a) The service conditions of Lower Division Clerks employed in the Ministry of Railways, so far as recruitment, training, promotion etc. are concerned, are regulated by the Railway Board Secretariat Clerical Service Reorganisation and Reinforcement Scheme which is on the lines of Central Secretariat Clerical Service Scheme.

(b) The Railway Board Secretariat Clerical Service consists of the following two grades :—

(i) Grade I (Upper Division) Rs. 130—5—160—8—200—EB—8—256—EB—8—280.

(ii) Grade II (Lower Division) Rs. 110—3—131—4—155—EB—4—175—5—180.

Direct recruitment is made in Grade II only. The posts in Grade I are required to be filled by promotion from amongst Grade II Clerks—80% by promotion on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit and 20% on the basis of limited competitive examination. However, till such time as the first limited competitive examination is not held in the Railway Board's office, the 20% vacancies will also be filled by promotion on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit as a temporary measure.

(c) The Railway Board Secretariat Clerical Service is confined to the Ministry of Railways and the staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Clerical Service.

(d) Officers of the Railway Board Secretariat Clerk Service recruited under these rules—

(i) will be eligible for pensionary benefits and

(ii) shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway servants appointed on the date they join service.

(e) The staff employed in the Ministry of Railways are entitled to the privilage of passes and privilege ticket orders on the same scale as are admissible to other Railway staff.

(f) As regards leave and other conditions of service, staff included in the Railway Board's Secretariat Clerical Service are treated in the same way as other Railway staff but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.

C. *Indian Foreign Service (B)*—Grade VI

The scale of Pay :—Rs. 110—3—131—4—155—EB—4—175—5—180.

2. Officers appointed to Grade VI of the Indian Foreign Service (B), when posted abroad, will be eligible for such allowances and free furnished accommodation as admissible to that grade of I.F.S. (B) officers from time to time.

3. Candidates appointed to the Indian Foreign Service (B) on the results of this examination will be liable to serve in any post either at Headquarters, anywhere in India or abroad to which they may be posted by the Controlling Authority.

4. The conditions for appointment confirmation and seniority in the Service will be governed by the relevant provisions of the I.F.S. (B) (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964 and also by any other rules or orders which the government may hereafter make.

D. Armed Forces Headquarters Clerical Service

The Armed Forces Headquarters Clerical Service has two grades as follows :—

Upper Division Grade—Rs. 130—5—160—8—200—FB—8—256—FB—8—280.

Lower Division Grade—Rs. 110—3—131—4—155—EB—4—175—5—180.

The posts in Upper Division Grade are filled by promotion from among Lower Division Clerks. Direct recruitment is made in Lower Division Grade only.

2. Persons recruited to the Lower Division Grade will be on probation for two years which period may be extended or curtailed at the discretion of the competent authority. Unsatisfactory record of service during this period may result in discharge of the probationer from service. Durng the period of probation, they may be required to undergo such training and pass such tests as may be prescribed from time to time.

3. Lower Division Clerks will be eligible for confirmation and promotion in accordance with the rules in force from time to time.

4. Lower Division Clerks recruited to the AFHQ Clerical Service will be generally posted to any office of the Armed Forces Headquarters and Inter-Service Organisations located in Delhi/New Delhi. They will also be liable to be posted anywhere within India in the public interest.

5. Leave, medical aid and other conditions of service will be the same as application to other Ministerial staff employed in the AFHQ and Inter-Service Organisations.

E. Department of Parliamentary Affairs

The scale of pay for the post of Lower Division Clerk in the Department is Rs. 110—3—131—4—155—EB—4—175—5—180.

Candidates appointed to the Service by selection through the competitive examination shall be on probation for a period of two years.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 28th October 1970

RESOLUTION

No. T&C/11(6)/70.—The Border Roads Committee which was set up *vide* Planning Commission's Resolution No. T&C/11(6)/70, dated the 6th July 1970 will include a representative of the Government of Manipur also.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

D. DAS, Under Secy.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 26th September 1970

RESOLUTION

No. 4/27/69-TEX.(C)/646.—The Government of India have decided that the following amendments shall be made in their Resolution No. 4(27)-TEX.(C)/69, dated the 17th May, 1969, reconstituting the All India Handloom Board :—

Against S. No. 31, *substitute* Shri Ziaur Rahman Ansari, Advocate, 49, Sheikhwada, Unnao, U.P. for Joint Secretary, Planning Commission, New Delhi.

H. K. BANSAL, Dy. Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 31st October 1970

RESOLUTION

No. 25-3/69-LDI.—In partial modification of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture) Resolution No. 25-5/66-LDI, dated 29th June 1967 read with resolution No. 25-5/67-LDI(i), dated 20-12-1967, resolution No. 25-5/67-LDI(i), dated 20-3-1968, resolution No. 25-5/67-LDI, dated 14-6-1968, resolution No. 25-8/68-LDI, dated 20-1-1969, resolution No. 25-3/69-LDI, dated the 23rd July 1969 and Resolution No. 25-3/69-LDI, dated the 24th April 1970, Government has decided that the time limit for presenting the report by the Committee on Cow Protection to Government be extended upto 31st March 1971

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to :—

1. All State Governments/Union Territories.
2. Lok Sabha Secretariat.
3. Rajya Sabha Secretariat.
4. Prime Minister's Secretariat
5. Cabinet Secretariat.
6. The Chairman, Cow Protection Committee, New Delhi.
7. All Members of Cow Protection Committee.
8. Secretary, Cow Protection Committee
9. Sarvadaliya Goraksha Mahabhiyan Samiti.
10. I.C.A.R., New Delhi.
11. E. I, E. II, E. III, E. IV, E. V, Accounts I and II and Budget Section.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. P. GULATI, Dy. Secy.

New Delhi, the 7th November 1970

No. 6-30/70-Genl.Coord.—In pursuance of the Government of India, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture) Resolution No. 25-13/68-Genl.Coord., dated the 29th August, 1970, setting up the National Commission on Agriculture, and in continuation of Government of India Notification No. 6-30/70-Genl. Coord., dated the 26th September, 1970 announcing the names of three full-time Members and eleven part-time Members, it has been decided that Captain Rattan Singh, Member, Legislative Assembly, Punjab, will also be a part-time Member of the National Commission on Agriculture, in addition to those nominated earlier.

T. P. SINGH, Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES

New Delhi, the 17th October 1970

No. F.22-1/69-CAI-2.—In partial modification of Ministry of Education and Youth Services Notification No. F.14/3/65-C.5, dated the 11th April, 1966 the following persons are appointed as Ordinary Members of the Indian Historical Records Commission :—

1. *Jabalpur University, Jabalpur*—Dr. Baij Nath Sharma, Reader and Head of the Department of Ancient Indian History Culture and Archaeology in place of Dr. R. M. Sinha, M.A. Ph.D.
2. *Jadavpur University, Jadavpur*—Dr. J. M. Sarkar, Department of History, Jadavpur University, in place of Dr. P. C. Gupta.
3. *Gujarat University, Ahmedabad*—Prof. P. K. Dharaiya, Professor of History in place of Dr. H. G. Shastri.

Their term of appointment for the present be up to 3rd April, 1971.

SARAN SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 3rd November 1970

No. F.1-25/70-SchoolsIV.—In exercise of the powers vested in it, by Article 6 of the Memorandum of Association of the National Council of Educational Research and Training, the Government of India hereby appoint Shri Batuk Singh, Controller General of Defence Accounts (Retired) and formerly member of the Union Public Service Commission, to review the recruitment policies and procedures of the National Council of Educational Research and Training.

2. The terms of reference of the review are :—

(1) To review the recruitment policies and procedures adopted by the NCERT since its establishment and to recommend policies and procedures suitable for the NCERT in the context of its present role.

(2) To examine the allegations of irregularities in recruitment contained in the representation to the Union Education Minister by some members of Parliament and report on them.

L. S. CHANDRAKANT,
Jt. Educational Adviser

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970